भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता का न्यायालय, सरायकेला।

टी0 ए0 मिस वाद सं0 147A/2018–19

1.धनेश्वर सोय 2. धनीराम सोय **बनाम** कुन्ती मुण्डा

दिनांक	पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	अभ्युक्ति
19.11.2018		

अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, कुचाई के पत्रांक 782 दिनांक 09.10.18 के द्वारा टी0 ए0 मिस वाद सं0 147A/2018–19 का जाँच प्रतिवेदन एवं तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है जिसका अवलोकन किया गया। बिक्रेता 1.धनेश्वर सोय 2. धनीराम सोय पिता स्व0 मानकी सोय, ग्राम–मरांगहातु, थाना–कुचाई, जिला–सरायकेला–खरसावां ने पारिवारिक खर्च हेतु क्रेता कुंती मुन्डा पति मंगल सिंह मुन्डा, ग्राम–गोमियाडीह, थाना–कुचाई, जिला–सरायकेला–खरसावां को निम्नांकित भूमि की बिक्री करने के लिए छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत अनुमति हेतु अनुरोध किये हैं। क्रेता के निवास के संबंध में आधार कार्ड, आवासीय एवं जाति प्रमाण पत्र समर्पित किया गया है। बिक्री की जाने वाली भूमि का विवरण निम्न प्रकार है:–

मौजा	थाना न0	खाता न0	खेसरा न0	रकवा
मरांगहातु	16	106	257/A	15डी0

न्यायालय द्वारा आम सूचना का प्रकाशन किया गया। निर्धारित तिथि तक किसी ने किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं किया है। प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं संलग्न कागजात से प्रतीत होता है, कि प्रस्तावित भूमि विक्रेताओं के पिता एवं अन्य के नाम से दर्ज भूमि है। विक्रेता अपने हिस्से की आंशिक भूमि को बिक्री करना चाहते है। जिसमें से 15डी0 भूमि बिक्री करने के पश्चात् 6.96½ एकड़ भूमि बचता है। साथ ही विक्रेता एवं क्रेता एक ही थाना, जिला एवं जाति 'मुन्डा' है, जो अनुसूचित जनजाति के अन्तर्गत आते हैं।

उपर्युक्त तथ्यों एवं अंचल अधिकारी के अनुशंसा के आलोक में उभय पक्ष के निजी दायित्व पर 15डी0 भूमि बिक्री करने की अनुमति दी जाती है। तदनुसार अभिलेख निस्तार किया जाता है।

19.11.18

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
सरायकेला।